

दफ्तर / संस्था का नाम

समाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र

पता

जोपीवाड़ा ग्राम-बलमरपुर

मुजफ्फरपुर (आर० एन०)

जिला मधुबनी वि० 847403

आदेश की तारीख

10 सितम्बर 2008

धारा 80जी (5) के अन्तर्गत आदेश

समाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र, जोपीवाड़ा ग्राम बलमरपुर
जिला-मधुबनी, वि० को दिये गये दान पर छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा
80जी के अन्तर्गत दानकर्ता को उपलब्ध होगी जो विहित सीमा तथा शर्तों के अधीन होगी।

होगी।

यह छूट दिनांक 01-04-2008 से 31-03-2011 तक मान्य

हस्ताक्षर

(उज्जवल कुमार चौधरी)
आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

नोट :-

1. दानकर्ता को जारी किये गये रशीद में इस आदेश की संख्या एवं तारीख वर्णित करना आवश्यक है।
2. आय एवं व्यय के लेखा की विवरणी वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
3. यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो इसकी सूचना संकल्प की एक प्रति/न्यास के संशोधित कामजात के साथ इस कार्यालय को शोधनी जानी चाहिये।
4. यदि पुनः नवीकरण अपेक्षित हो तो आय व्यय विवरणी के साथ इस कार्यालय में आवेदन दिया जाये।



ज्ञापन संख्या आ०आ०/मुज०/मुख०/80जी/2008-09/2808-09
दिनांक, मुज०

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. आयकर अधिकारी, मुजफ्फरपुर : अं०/अ-3, दरगाहा।
2. आवेदक।

अनुरोध है कि दफ्तर/संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि यह दफ्तर/संस्था धारा 80जी (5) में निहित शर्तों को तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी निर्देशों को पूरा करती है। छूट के नवीकरण हेतु प्राप्त वाद के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने प्रतिवेदन को अपर आयकर आयुक्त के माध्यम से भेजें।

(वी.के. सिन्हा)

आयकर अधिकारी, मुख्या० (प्रशा०),
कृते : आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।